कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक— 1938 / 15—1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 11 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
प्रयागराज।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Road/157329/2022

विषयः— **राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा भड़ेवरा—कोहड़ारघाट—कोरांव—ड्रमण्डगंज रोड (एन0एच0—135सी) के किमी0 सं0—15.00 से किमी0 58.600 तक जिला—प्रयागराज में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित 0.927 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 157 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/121/2023/एफ0सी0/429, दिनांक 30.11.2023

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको प्रतिलिपि है कि छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा जनपद—प्रयागराज अन्तर्गत भड़ेवरा—कोहड़ारघाट—कोरांव—ड्रमण्डगंज रोड (एन0एच0—135सी) के किमी सं0—15.00 से 58.600 तक प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.927 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग एवं बाधक 157 वृक्षों/पौधें के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Principle approval) 28 शर्तों के साथ प्रदान की गयी है, जिसका अनुपालन प्रमाण—पत्र सहित राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज द्वारा किया जाना है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—2, 3 व 4 के अनुसार निम्नलिखित वांछित धनराशि ई—पोर्टल के माध्यम से ई—चालान द्वारा वन विभाग के Campa fund में जमा कर ई—रसीद उपलब्ध करायें।

1. **शर्त सं0—2 व 3** के अनुसार प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.927 हे0 के दो गुने अर्थात 0.927 × 2 = 1.854 हे0 में 2039 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों तक उसके रख—रखाव की **धनराशि रू0 1069388.00** ई—चालान के माध्यम से Campa fund में जमा कर ई—रसीद उपलब्ध करायें।
2. **शर्त संख्या—4** के अनुसार प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.927 हे0 के NPV की धनराशि रू0 957780.00 प्रति हे0 की दर से **रू0 8,87,862.00** ई—चालान के माध्यम से Campa fund में जमा कर ई—रसीद उपलब्ध करायें।

अतः उपरोक्त धनराशि अलग—अलग Online ई—चालान के माध्यम से Campa fund में जमा कर हस्ताक्षरित ई—रसीद उपलब्ध करायें। साथ ही साथ समस्त शर्तों (1 से 23 तक) की अनुपालन रिपोर्ट भी प्रमाण—पत्र सहित Online Parivesh Portal पर Upload कराकर 04 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक—यथोपरि।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक— 1938 **/समदिनांक।**

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0 प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।

(महावीर कौजलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।